2/17

A2
2

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

करण संख्या :–02/17 वर्षः– 2017

ठासीन अधिकारीः– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

र्वत पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी मोटासर खूनी तहसील श्री करणपुर–––अपीलांट

बनाम

कालू राम पुत्र बहादर राम जाति जाट निवासी 20 एफ एफ मोटासर खूनी त0 करणपुर
दया राम पुत्र हरी राम जाति जाट निवासी 20 एफ एफ मोटासर खूनी त0 श्रीकरणपुर
स्टेट आफ राजस्थान
–– रैस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 418 दिनांक 25.01.17 जिसके द्वारा अपीलांट की भूमि विधि विरूद्ध रैस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया निरस्त करने बाबत।

।। निर्णय ।। दिनांकः– 11/5/17

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं अपीलांट द्वारा अपील हाजा पेश अदालत की गई कि रैस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट यह कथित करते हुए पेश किया गया कि रैस्पो0 वाके चक 20 एफ एफ तह0 श्रीकरणपुर के जमाबंदी संवत् 2066–2069 के संयुक्त खाता संख्या 32 के मु. नं. 31, 32,33,35,37,52 व मु. नं. 87/25 की 12.027 हैक. भूमि में से 116–23/24 हिस्सा का अन्य खातेदार के साथ सहखातेदार है और उक्त संयुक्त खाता में मु. नं. 31 के किला नं. 4 ता. 8 व 13 पर काबिज है और रेस्पोडेंट इसी चक 20 एफ एफ के मु. नं. 31 के किला नं. 1, 2, 3, 9,10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक सालम तथा किला नं. 21, 22, प्रत्येक में 18–18 बिस्वा रकबा नहरी तथा मु. नं. 87/7 का 0.063 हैक्टर मु. खाता कुल 2.947 हैक्टर भूमि का खातेदार है और मु. नं. 38 के किला नं. 1, 10, 11, 20,21 व मु. नं. 30 के किला नं. 1 ता. 5 व किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता मंजूर शुदा चालू और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मु.नं. 31 के किला नं. 1, 2,3 में से चलकर अपनी भूमि किला नुं. 4 में प्रवेश करता है और अप्रार्थी संख्या 2 रेस्पोडेन्ट ने मु0 नं. 31 के किला नं. 1, 2, 3, में से रास्ता बंद कर दिया गया है और रेस्पोडेन्ट को कठिनाई होती है व मुरब्बा नंबर 31 के किला नं. 1, 2, 3 में से 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकार फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 हाजिर आया और जवाबदेही कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 खाता सख्या 32 की संयुक्त भूमि में एक खातेदार है और रेस्पोडेन्ट मु. नं. 31 के किला नं. 4, 5, 6, 7, 8 व 13 पर काबिज नहीं है और इस संयुक्त खाता की अन्य भूमि पर काबिज है और इस संयुक्त खाता की भूमि के लिए मु. नं. 37 के किला नं. 21 से 25 के चिपता हुआ मु. नं. 51 के किला नं. 1 ता0 5 में रास्ता है और अप्रार्थी मु. नं. 51 में चल रहे मु. नं. 37 के किला नं. 25, 16, 15, 6 में प्रवेश कर रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने अपने चाचा के किला नं. 5 मे प्रवेश कर मु0 नं. 31 में प्रवेश करता है क्योंकि रेस्पोडन्ट संख्या 1 के चाचा को भी किला नं. 5 में आने के लिए रेस्पोडेन्ट के किला नं. 6 , 15, 16, 25, में से ही निकलना पड़ता है उक्त संयुक्त खाता की भूमि के लिए मु. नं. 31 में से कभी कोई रास्ता न तो था व न है। मु. नं. 30 के किला नं. 1 ता. 5 व किला नं. 10, 11, 20, 21 में रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि विभाजन में सन 2011 में ही स्वीकृत किया गया है। सन 2011 से पूर्व मु. नं. 30 मे कोई रास्ता नहीं था। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा म. नं. 30 व 31 के किला नं. 1, 2, 3, में रास्ता होने की बात झूठी थी। मु. नं. 31 के किला नं. 1 में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की रिहायशी ढाणी बनी हुई है और प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के बाद सुनवाई अपीलांट की भूमि मु. नं. 31 के किला नं. 1, ता. 3 में 2–2 बिस्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया है। और इस संबंध में तहसीलदार हल्का को पत्र लिखा। तहसीलदार हल्का ने विधि विरूद्ध कार्य करते हुए राजस्व रिकार्ड मे अपीलांट की भूमि होने के बावजूद अपीलांट को नोटिस जारी न कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को नोटिस जारी किया और इतंकाल संख्या 418 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट बाद ग्रस्त भूमि का खातेदार है। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये इतंकाल स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को माननीय न्यायालय की अनुमति से अपील के माध्यम से चुनौति देने का अधिकारी है। यह कि राजस्व रिकार्ड में मु. नं. 31 के किला नं. 1 ता. की भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज है।अपीलांट की ढाणी किला नं. 1 में बनी हुई है। उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर मे प्रकरण संख्या 25/13 के माध्यम से रेस्पोडेंट संख्या 2 की भूमि में रास्ता स्वीकार करने का आदेश दिया था। अधीनस्थ न्यायालय व हल्का

लैक्टर (सतर्कता)
ानगर

2/17 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

A2
3

टवारी व गिरदावर को बाद ग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम होने की पूर्ण जानकारी थी और अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग कर अपीलांट की भूमि का इतंकाल स्वीकृत करने मे सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायलय खिलाफ कानून व विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन इतंकाल से अपीलांट के नाम भूमि का इतंकाल दर्ज किया परंतु नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश पालना के लिए अवश्य आया था, परंतु अपीलांट की भूमि बाबत नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर से राजस्व रिकार्ड की सही स्थिति स्पष्ट कर ही कोई आदेश प्राप्त कर इंतकाल बाबत आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट की भूमि बिना किसी आदेश से बिना आधार विधि विरूद्ध रास्ता के नाम दर्ज करने मे सख्त गलती की है। हल्का पटवारी ने अपीलाधीन इतंकाल दर्ज करते समय नोट अवश्य अंकित किया है कि जरिये इतंकाल संख्या 379 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा उक्त भूमि दयाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने पुत्र के पक्ष में दान कर दी है। इस नोट के दर्ज होने से भू. अभि. निरीक्षक हल्का नाणकसर व तहसीलदार ने इतंकाल स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय व हल्का पटवारी द्वारा किये गये विधि विरूद्ध कार्य को अपना फौजदारी कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त अनवानी अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाने का अधिकार है। वादग्रस्त भूमि बैंक के रहन थी और बैंक को बिना सुने बैंके के नाम की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर ने मु. नं. 31 के किला नं. 1, 2, 3, में 2–2 बिस्वा रास्ता की भूमि के बदले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि के बदले में मु. नं. 31 में ही भूमि अप्रार्थी को देने का आदेश दिया था। हल्का पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय ने मु. न. 31 की भूमि न देकर संयुक्त खाते में भूमि दी है जो आदेश विपरीत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में इतंकाल स्वीकृत करते समय भू–राजस्व अधिनियम के नियम 121 से 127 की पालना न कर आदेश पारित करने मे सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। इतंकाल तस्दीक करने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दी है। अधीनस्थ न्यायालय को इतंकाल स्वीकृत करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना चाहिए था जो नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि की हल्का पटवारी से जमाबंदी 24.01.2017 को प्राप्त की थी और हल्का पटवारी ने इतंकाल में उक्त दिनांक को दर्ज करना अंकित किया है। उक्त दिनांक को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 19.01.2017 को स्थगित करने का अनुतोष मांगा था और इसकी सूचना पटवारी हल्का को दे दी थी और उपखंड अधिकारी ने दिनांक 27.01.2017 को ही स्थगन आदेश जारी कर दिया था व पीछे की तारीख में इतंकाल स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलांट को दी गयी जमाबंदी में ऐसा कोई अंकन नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का जरिये रजि0 दानपत्र दिनांक 03.07.2014 से खातेदार मालिक है। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज है। भूमि के इतंकाल संख्या 418 बाबत कोई जानकारी अपीलांट को नहीं थी। जानकारी के आधार पर अपील को प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 की ओर से श्री जगमोहन आहूजा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व पैरवी की गई।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलान्ट के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराया गया व कथन किया गया कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया। न्याय का नेसर्गिक सिद्धान्त है कि उभय पक्षों को सुना जाकर ही न्याय निर्णयन किया जाये। अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा नजीर आर आर डी 1995 पेज 772,आर आर डी 2002 पेज 338 पेश की।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पोडेंटस द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील आइ नही करती क्योंकि अपीलाधीन आदेश न्यायालय द्वारा सविवेक नहीं दिया गया व न ही रिकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर पारित किया गया है वरन् अपीलाधीन आदेश उपखण्डाधिकारी के आदेशों की पालना मात्र है। अतः अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

समायत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। नजीर आर आर डी 2002 पृष्ठ 338 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि अविवादित नामान्तकरण को तस्दीक करने की शक्तियां संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदत हैं यदि 45 दिवस तक ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता तो शक्तियां तहसीलदार में हस्तान्तरित हो जाती हैं, नजीर आर आर डी 1995 पेज 772 में मुरतहिन को सुना जाकर निर्णय किया जाना चाहिये लेकिन मेरे विनम्र मत में उक्त नजीरें इस प्रकरण पर इसलिये चस्पां नही होतीं क्योंकि प्रकरण हाजा में तहसीलदार द्वारा स्व–विवेक से इन्तकाल नहीं किया गया है वरन् उपखण्डाधिकारी के आदेश की पालना की गई है। अवलोकन से पाया गया कि

टर (सतर्कता)
गर

A2
4

2/17 अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

वक्त अपील अपीलांट द्वारा इन्तकाल संख्या 25.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है तथा उपखण्डाधिकारी
रणपुर द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी चक नम्बर 20 एफ एफ के
ला नम्बर 1–2–3 तादादी 2–2 विस्वा रास्ता स्वीकृति के आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। यह आदेश
पखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 19.01.2017 की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा किया गया है। जो अपील
ग्य नहीं है क्योंकि इस इन्तकाल में अपीलांट को इसी इन्तकाल के द्वारा किला नम्बर 1–2–3 में से 075 हैक्टर
मि आदेश की पालना में पर्वत सिंह के खाते में दर्ज की गई है। वस्तुतः न्यायालय के मूल आदेश के विरूद्ध ही
पील संस्थित की जा सकती है। अपीलाधीन आदेश मूल आदेश न होकर अपने से उच्चतर न्यायालय के आदेशों
पालना मात्र है। इसमें अपीलांट के खाते में किला नम्बर 1–2–3 में रास्ता स्वीकृत किया गया है उसके बदले
भूमि की इसी इन्तकाल के जरिये दी गई है। उपखण्डाधिकारी के आदेश दिनांक 19.01.17 के विरूद्ध अपील
राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष विचाराधीन है।

– आदेश –

समग्र अवलोकन के पश्चात उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के प्रकाश में अपील लाई नही होने के कारण
रिज की जाती है इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश 13.02.2017 निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ
यालय को निर्णय की प्रति के साथ संबंधित रिकार्ड लौटाया जावे। पालना सुनिश्चित होकर पत्रावली वाद
तीव तकमील हरब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर